उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक......C/2195....................../ जबलपुर, दिनांक 04 /05/2018.
दो–15–30/82 भाग–दो

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार, प्रशासन/डी.ई./कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनु. अधि., स्थापना/लेखा/पेंशन/जिला स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. लेखा अधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल, दिनांक 21–03–2018 (विचाराधीन पत्र) की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल, दिनांक 21–03–2018 की प्रतिलिपि

03.5.18

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल दिनांक 21/03/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश

विषयः– वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति ।

––0––

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 2–1/1/3/2012 दिनांक 11/9/2012 द्वारा श्रेणी बी–1 एव बी–2 शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एव जबलपुर) के लिये निःशक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को रूपये 150/ (एक सौ पचास रूपये) के स्थान पर रूपये 350/–(तीन सौ पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता निम्नांकित शर्तो पर स्वीकृत किया गया था:–

(क) आकास्मिक अवकाश को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों की अवधि में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) परिवहन भत्ता स्वीकृत के लिये स्वयं वाहन रखने की शर्त का प्रतिबध नहीं होगा।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में प्रदेश के निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब निम्नानुसार परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है:–

क्र0	पूर्व में स्वीकृत परिवहन भत्ता	नवीन में स्वीकृत परिवहन भत्ता
1	रूपये 350/– (राजभोगी शहर में लागू) रूपये 150/–रूपये मात्र (राजभोगी शहरों को छोड़कार)	रूपये 350/– (राजभोगी शहारो को छोडकर)

3/ ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक जिन्हे परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है के वेतन देयक में अहरण एवं संवितरण अधिकारीयो द्वारा निम्नलिखित प्रमाणीकरण अभिलिखित किया जाना चाहिये :–

प्रमाणित किया जाता है की उन समस्त कर्मचारियो द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 सी/2–1/1/3/2012 दिनांक 11/9/2012 मे निर्धारित सभी शर्तो पूरी की गई है जिनका परिवहन भत्ता इस देयक में आहरित किया गया है।